



न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मंडल  
सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0



Rs. 20/-



R. 2514-15116

बैजनाथ तनय श्री जोखई यादव, निवासी ग्राम पिड़रिया थाना व तहसील  
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता/आवेदक

निगरानीकर्ता/आवेदक  
ग्राम पिड़रिया तहसील 25.07.14 के  
प्रस्तुत किया गया।  
मैं  
रिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

रामनिहोर तनय श्री पंचम चमार, निवासी ग्राम पिड़रिया, थाना व तहसील  
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल  
खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के  
प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2012.13 आदेश  
दिनांक 15.07.14।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा० सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। *(Signature)*

153  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2514 - 14/14 ..... जिला ..... रुदा .....

..... वैज्ञापिक पात्र ..... विरुद्ध ..... रामनीचोट्यांग .....

1	2	3
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>विजय कुमार लिवेरी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>रवैरवरी</u> तहसील <u>हुडगढ़</u> के प्रकरण क्रमांक <u>74/A/12/13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>15.7.14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रुदा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14.3.19</u> को कलेक्टर <u>रुदा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	